



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 4037/25

1 - छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ रजिस्ट्रेशन सं 33/1961 अपने अध्यक्ष टहल सिंह साहू पिता श्री पतिराम साहू, के द्वारा उम्र लगभग 62 वर्ष, कार्यालय भामाशाह हॉस्पिटल, टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य अपने रजिस्ट्रार फर्म तथा सोसायटी के द्वारा , छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, ब्लॉक-1,3 वीं मंजिल, अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

2 - सहायक पंजीयक, फर्म तथा सोसायटी, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, ब्लॉक-1,3 वीं मंजिल, अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

3 - समन्वय समिति, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, कार्यालय :भामाशाह अस्पताल, टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

4 - संचालन समिति, छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, कार्यालय भामाशाह अस्पताल, टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

----उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 तथा 2/राज्य:श्री प्रवीण दास, उप महाधिवक्ता तथा श्री सतीश गुप्ता, शासकिय अधिवक्ता

उत्तरवादी सं 3 और 4 हेतु :श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री मलय श्रीवास्तव, अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

05/08/2025

1. पक्षकारों की सहमति से मामले की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. वर्तमान याचिकाकर्ता ने 14.07.2025 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसके तहत उत्तरवादी सं 1- रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी ने सहायक रजिस्ट्रार के माध्यम से एक आदेश पारित किया और



याचिकाकर्ता को चुनाव शुरू करने का निर्देश दिया और उत्तरवादी सं 4 को धारा 5 (ए) (बी) और (सी) के तहत उप-नियमों के प्रावधानों और खंड 11 के प्रावधान के तहत 45 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष मांगा गया है:

"10.1. उत्तरवादी से याचिकाकर्ता के प्रकरण से संबंधित पूरे अभिलेख की मांगवाया जाये।

10.2. यह कि माननीय उच्च न्यायालय कृपया दिनांक 14.07.2025 (अनुलग्नक पी/1) और दिनांक 23.07.2025 के अनुलग्नक पी/11 आदेश को अपास्त करने की कृपा करें।

10.3. उत्तरवादी को उचित निर्देश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद पर बने रहने दें, क्योंकि याचिकाकर्ता निर्वाचित है तथा आम बैठक में उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है।

10.4. कोई अन्य अनुतोष जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे, कृपया प्रदान की जाएं।"

3. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता संघ छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकरण क्रमांक 33/1961 है और कार्यालय भामाशाह अस्पताल, टिकरापारा, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है। याचिकाकर्ता ने सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के नाम से उपविधि तैयार की तथा उप पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटी नया रायपुर द्वारा अनुमोदित की गई तथा समय-समय पर उपविधि में संशोधन किया गया। याचिकाकर्ता को वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया तथा याचिकाकर्ता का कार्यकाल 16.04.2022 से 16.04.2025 तक है तथा याचिकाकर्ता संघ द्वारा निर्वाचन प्रतिवेदन पंजीयक कार्यालय के समक्ष छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता संघ अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहा तथा दिनांक 07.01.2025 को छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा राजिम में आमसभा का आयोजन किया गया तथा उपविधि में संशोधन के साथ-साथ निर्वाचन कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन से प्रस्ताव पारित कर संशोधित समिति गठित करने के निर्देश दिए गए तथा यह भी निर्देश दिया गया कि निर्वाचन 6 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना है। याचिकाकर्ता संघ ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं 28 के तहत रजिस्ट्रार के समक्ष विस्तृत संशोधन प्रस्तुत किया और संशोधन के अनुसार संघ द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का मनोनयन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा दिनांक 15.04.2025 के आदेश द्वारा छः माह की अवधि के लिए कार्यकारिणी के कार्यकाल विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 30.04.2025 के आदेश द्वारा समस्त 36 जिला स्तरीय साहू संघों को निर्वाचन हेतु सामान्य अधिसूचना जारी की गई तथा निर्वाचन की कार्यवाही 1 मई 2025 से प्रारम्भ होकर चार स्तरों में सम्पन्न की गई तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ, रायपुर के सदस्यों द्वारा उप पंजीयक के समक्ष कुछ



शिकायतों की गई और छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अध्यक्ष ने सहायक पंजीयक के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया।

3. याचिकाकर्ता संघ ने दिनांक 30.04.2025 के आदेश द्वारा चुनाव कार्यक्रम पहले ही प्रकाशित कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ सदस्यों ने उपनियमों का पालन किए बिना और अस्तित्व/निर्वाचित कार्यकारिणी को बुलाए बिना 03.05.2025 को एक संचालन समिति और 13.05.2025 को एक समन्वय समिति का गठन किया। पुनः, कुछ सदस्यों ने विद्यमान निर्वाचित निकाय को सूचित किए बिना, 11.07.2025 को एक आम बैठक बुलाई और 07.04.2025 को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता संघ ने अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि सदस्यों के बीच विवाद के समाधान के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन समिति ने चुनाव कार्यवाही में बाधा डाली और सहायक रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता संघ द्वारा दिनांक 12.07.2025 और 09.05.2025 को दिए गए उत्तरों में उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना ही चुनाव कार्यवाही में बाधा किया गया। एक बार चुनाव कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन सहायक रजिस्ट्रार ने आक्षेपित आदेश पारित कर संचालन समिति को 45 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता संघ द्वारा दायर वर्तमान याचिका प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि रजिस्ट्रार ने सहायक रजिस्ट्रार के माध्यम से आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता को चुनाव शुरू करने का निर्देश दिया है और प्रतिवादी क्रमांक 4 को उपविधि 5(ए)(बी) और (सी) के प्रावधानों के तहत और खंड 11 के प्रावधानों के तहत 45 दिनों की अवधि के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है, हालांकि याचिकाकर्ता संघ ने पहले ही छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है, इसलिए सहायक रजिस्ट्रार का आचरण और चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम याचिकाकर्ता संघ द्वारा पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है और बाद में बिना किसी कारण के, सहायक रजिस्ट्रार ने उत्तरवादी क्रमांक 4 को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है जो अवैध और मनमाना है। उन्होंने याचिकाओं के समूह में समन्वय पीठ के निर्णयों पर भरोसा किया है, अर्थात् डब्ल्यूपीसी संख्या 1721/2020 दिनांक 04.01.2021 और डब्ल्यूपीसी संख्या 48/2023 दिनांक 26.07.2024।

5. राज्य सरकार तथा उत्तरवादी संख्या 3 और 4 के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी तीन मुख्य आपत्तियाँ हैं:

i) याचिकाकर्ता के खिलाफ उठाई गई पहली आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता संघ के पास दिनांक 14.07.2025 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का कार्यकाल जो 16 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, 16 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया था।

ii) उत्तरवादी द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता के पास छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।



iii) उत्तरवादी/प्राधिकारी द्वारा उठाई गई तीसरी आपत्ति यह है कि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और याचिकाकर्ता की ओर से कोई दलील नहीं है कि साहू संघ को 6 महीने की अवधि का विस्तार सामान्य सभा के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ का कोई प्रस्ताव नहीं है जो श्री टहल सिंह साहू को इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करता है क्योंकि यह पंजीकृत सोसायटी है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दस्तावेजों और अनुलग्नकों के साथ-साथ उत्तरवादी द्वारा दायर उत्तर का भी अवलोकन किया गया। छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत उप-नियम, जिसका पंजीकरण क्रमांक 33/1961 है, "संशोधित नियमावली" है। धारा 12 इस प्रकार है:

1. प्रत्येक ईकाई का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। विशेष परिस्थिति में प्रबंध कार्यकारिणी समिति के निर्णय अनुसार बढ़ायी जा सकेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। इस हेतु संरक्षक मंडल का अनुमोदन अनिवार्य होगा। "याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क नहीं दिया गया है कि संघ के अध्यक्ष के रूप में छह माह के कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह भी उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता संघ का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 16 अप्रैल 2022 को प्रारंभ हुआ था और 16 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया है तथा इस याचिका को दायर करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा कोई प्राधिकरण पत्र जारी नहीं किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत विवादों की जांच एवं निपटारा की धारा 32 में इस संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"32. विवादों की जांच तथा निराकरण---

1. रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन पर, स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसायटी के गठन, कार्य तथा वित्तीय स्थितियों की जांच कर सकता है।

2. उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की जांच [आवेदन के साथ उसकी विषय-वस्तु के समर्थन में शपथ-पत्र] पर की जाएगी -

(क) सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्यों का बहुमत; या

(ख) सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई।

3. रजिस्ट्रार या उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:---



(क) उसे हर समय सोसाइटी से संबंधित या उसकी अभिरक्षा में रखी गई पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य संपत्तियों तक निर्बाध पहुंच होगी और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य संपत्तियों पर कब्जा रखता है या उनकी अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसे प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है, यदि वे सोसाइटी के मुख्यालय से संबंधित हैं, जो उसके मुख्यालय में किसी स्थान पर है और यदि वे सोसाइटी की किसी शाखा से संबंधित हैं, तो उस शहर में किसी भी स्थान पर, जहां उसकी ऐसी शाखा स्थित है या उसके अपने कार्यालय में है।

(ख) वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे सोसाइटी के किसी मामले की जानकारी है, सोसाइटी के मुख्यालय या उसकी किसी शाखा में या अपने कार्यालय में किसी भी स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुला सकता है और शपथ पर ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है; और

(ग) (i) वह समाज की सामान्य बैठक के लिए सूचना की अवधि निर्दिष्ट करने वाले किसी विनियमन या उप-नियमों के होते हुए भी, समाज के पदाधिकारियों को समाज के प्रधान कार्यालय में या समाज के मुख्यालय में किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर समाज की सामान्य बैठक बुलाने तथा उसके द्वारा निर्देशित मामलों का निर्धारण करने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां समाज के पदाधिकारी ऐसी बैठक बुलाने से इनकार करते हैं या असफल होते हैं, वहां उसे स्वयं बैठक बुलाने की शक्ति होगी;

(ii) उप-खण्ड (i) के अधीन बुलाई गई किसी बैठक को सोसायटी के विनियमों या उप-विधियों के अधीन बुलाई गई सामान्य बैठक की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उसकी कार्यवाही ऐसे उप-विधियों द्वारा विनियमित होगी।

(4) जब इस धारा के अधीन जांच की जाती है तो रजिस्ट्रार जांच का परिणाम सोसायटी को बताएगा तथा सोसायटी को समुचित निर्देश जारी कर सकेगा, जो सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।”

8. अतः उक्त अधिनियम 1973 की धारा 32 के अनुसार, चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित है। जहां तक सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता को चुनाव शुरू करने का निर्देश देने और प्रतिवादी क्रमांक 4 को धारा 5(ए)(बी) और (सी) के तहत उप-नियमों के प्रावधानों के तहत चुनाव कराने का निर्देश देने का संबंध है, यह महत्वपूर्ण बात है कि याचिकाकर्ता के पास छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीयन अधिनियम, 1973 की धारा 40 के तहत एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, जिसमें याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने और ऐसी सभी आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता है। शाजी के. जोसेफ बनाम वी. विश्वनाथ एवं अन्य, (2016) 4 एससीसी 429 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 15 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

“15. हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, विशेषकर तब जब चुनाव प्रक्रिया 27.01.2011 को चुनाव कार्यक्रम के प्रकाशन के बाद शुरू हो चुकी थी और विशेषकर तब, जब



उत्तरवादी संख्या 1 के पास अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के साथ विनियम 20 के अनुसार विवाद को केंद्र सरकार को संदर्भित करने के माध्यम से एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध था। जहां तक उत्तरवादी संख्या 1 के चुनाव लड़ने की पात्रता के विवाद का सवाल है, हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी संख्या 1 चुनाव लड़ सकता है, हम उक्त विवाद पर विचार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी राय में, स्थापित कानून के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उच्च न्यायालय को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उपर्युक्त संदर्भित निर्णय स्पष्ट रूप से कानून की स्थापित स्थिति को दर्शाते हैं कि जब भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सामान्यतः न्यायालयों को चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि न्यायालयों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाता है, तो संभवतः न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी चुनाव पूरा नहीं हो सकेगा। अक्सर, तुच्छ कारणों से, उम्मीदवार या अन्य लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर, चुनाव में देरी हो जाती है या उसे रद्द कर दिया जाता है और ऐसे मामले में चुनाव कराने और प्रशासन चलाने के लिए एक निर्वाचित निकाय प्राप्त करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाता है। उपर्युक्त कारणों से, इस न्यायालय ने यह विचार किया है कि चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निराकरण चुनाव संपन्न होने के बाद ही किया जाना चाहिए।”

9. यदि न्यायालय द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाता है, तो संभवतः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना कोई भी चुनाव संपन्न नहीं हो सकेगा, जिससे निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह विधि का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि एक न्यायालय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर, न्यायालयों को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर ऐसा कोई भी हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा और चुनाव न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। इस न्यायालय का यह मत है कि चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निराकरण चुनाव संपन्न होने के बाद किया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त अवलोकन के साथ, याचिका का निराकरण किया जाता है और अंतरिम रोक हटा ली जाती है।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

